न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 547 सन 2018

अनवान :–

1. हनुमान पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. मदनलाल पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. सुदेश पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. गुडडी पत्नी मदनलाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. भीमराज पुत्र चानणराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. लिखमा पत्नि भीमराज जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31/12/18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 41/40 की कुल 15.403हैक भूमि पूर्व में वादी के दादा चानणराम के नाम से दर्ज थी वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता का देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुइ है विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति हे जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का हक हिस्सा है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चानणराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादीगण का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ,2

Web Copy - Not Official

ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया गया है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूम है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है। इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भगवान के खाता संख्या 41/40 की कुल 15.403हैक भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारों बहिब एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official